प्रकरण संख्या 37/2019 बसु बनाम तुलसी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 152, 153, 154, 2573, 2579, 2639, 2640, 2641, 2642, 2646, 4032/2503 ग्राम कनबई, तहसील खेरवाड़ा में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 8 से 11 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजियात में से आराजी नंबर 152 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि पहाड़ी ढलान पर स्थित है। उक्त खसरा नंबर के नीचे का हिस्सा अर्थात दर्रे की तरफ के भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का करीब डेढ़ से दो बीघा भूमि पर करीब 9 वर्ष पूर्व हुए अतिक्रमण द्वारा जबरन कब्जा करके एक मकान एवं आगे आंगन पीछे बाड़ा तथा पशुघर बनाकर वादी की अनुपस्थिति में जबरन कब्जा कर लिया है, शेष भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मन में बदनियति आ जाने से वादी के हिस्से की अन्य सम्पत्ति भी हड़पना चाहते हैं तथा जबरन अतिक्रमण कर भूमि को समतल कर नींव खोदने शुरू कर दी है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किया जावे एवं उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 08.06.2018 को यह निर्णय पारित किया कि ''वादी द्वारा स्वेच्छा से वाद विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा कहा गया कि हम वादी एवं प्रतिवादी में आपसी समझौता हो गया है तथा आगे वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।'' उक्त आधार पर वादी का विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश सालवी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 25.05.2018 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 22.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत के लिए दिनांक 08.06.2019 की पेशी नियत की गयी, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रकरण में दिनांक 25.05.2018 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 22.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत के लिए दिनांक 08.06.2019 की पेशी नियत की गयी तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा स्वेच्छा से विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताकर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जबकि दिनांक 22.05.2018 की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी थी, जिसमें प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज नहीं है। कैम्प की पेशी का कोई नोटिस अपीलान्ट को तामिल नहीं हुआ है। कथित समझौते बाबत प्रार्थी की कोई पहचान का उल्लेख नहीं है, न ही अधिवक्ता उपस्थित थे, न ही प्रतिवादी स्वयं उपस्थित था, बल्कि किसी और की मिलीभगत से निर्णय पारित किया गया है, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जो अंगूठा आदेशिका पर लगा दिखाया गया है वह ऊपर है तथा अपीलान्ट के बजाय किसी अन्य का है। आदेशिका में कहीं भी वाद विड्रो करने से खारिज करना अंकित नहीं किया है, जबकि निर्णित करना लिखा है, जो विधि सम्मत नहीं है, न ही कोई डिक्री ही उसके अनुसरण में जारी की गयी है। उक्त निर्णय मिली भगत के आधार पर षड़यंत्र पूर्णक किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:04 IST
Reason: SelfAttested

होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेशिका में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी में आपसी समझौता हो गया है, जबकि पत्रावली पर कोई समझौता पत्र संलग्न नहीं है। विड्रो प्रार्थना पत्र पर मात्र वादी वसु की जो अंगूठा निशानी तथा प्रतिवादी संख्या 6 पांचाराम के हस्ताक्षर हैं, अन्य किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है तथा वादी वसु की जो अंगूठा निशानी अंकित की गयी है, उसकी पहचान उनके अधिवक्ता या किसी अन्य द्वारा नहीं करायी गयी है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में दिनांक 25.05.2018 के पेशी नियत थी, किन्तु बिना कोई सूचना पत्र जारी किये उसके तीन दिन पूर्व दिनांक 22.05.2018 को प्रकरण रखा जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.06.2018 को विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना अंकित करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसमें वाद खारिज किये जाने का कोई अंकन नहीं किया है एवं न ही कोई डिक्री जारी की गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 17/17 निर्णय दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.03.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:04 IST
Reason: SelfAttested